


# Form no 111

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ जिला हनुमानगढ  
 अनवान :- बलजिन्द्र सिंह आदि बनाम नाजरसिंह आदि  
 धारा - 88.53 आर टी ए मुकदमा नं० - 148 / 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय अनिशिल्सा जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुआ।
23.5.2018	अभिभाषक वादी द्वारा वाद-पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.5.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेष हो।	<p>Handwritten notes and signatures on the right side of the table, including names like 'अभिभाषक' and 'अनिशिल्सा'.</p>
24.5.18	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत केन्द्र राजकोट मुकदमे पेश करने वाली अभिभाषक उप. अ. टी. ए. 1 व 2 की कोर्ट से भी देवदत्त किशोर अभिभाषक द्वारा बकालतगण पेश किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी ए. 1 व 2 के लिये हाजिर आकर गणेश लोक अदालत की आवक से पेश किया जा बाद तलबीक शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अभिभाषक की बहल सुनी गई। उक्त पत्र की कोर्ट से मुताबिक राजकोट वाद-पत्र दिक्की करके का करण किया गया। एकारे द्वारा बहल पर गण किया गया व पत्रावली का इन्वेन्टरी किया गया। वादीगण पत्रावली के बाद गण-पत्र 17 KSP खाना सं. 36/34 संन 2068-74, एसी-पत्र के खाना सं. 35/35 संन पत्रावली: 2.530 सं, 5.345 सं का मुताबिक</p>	<p>Handwritten signatures and stamps on the right side of the table, including a large blue circular stamp and the name 'अनिशिल्सा'.</p>

राजीवगण शांत कर रहे हैं और एक ही परिवार  
के सदस्य हैं तथा अहदी जमदाद के (12/11/2014)  
तक की विवाह प्रति वेदा भी ही वादीगण के वाद-पत्र  
का कोई विरोध पत्रकारों के कहना नहीं है।  
वाद-पत्र को अदालत भी भाग ले डिक्री किता  
जाना अनैतिक है। राजीवगण विरुद्ध का कुछ  
इच्छा। पत्रा डिक्री जारी हो पत्रावली के छला  
धुमर होकर दारिद्र्यल दफ्तर भी जारी।  
आदेश पुनः जमा।

  
सहायक फलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

मूल वाद मे डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान किशनपुरा

पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित

- 1-बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तह0 हनुमानगढ
  - 2-गुरगीत सिंह पुत्र श्री नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तह0 हनुमानगढ
- वादीगण

बनाम

- 1-नाजर सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ
- 2-रानी उर्फ सुखपाल कौर पुत्री श्री नाजर सिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ राज0
- 3-राज्य राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नम्बर :- 148/2018  
निर्णय दिनाक :- 24.5.18

वादीगण की ओर से श्री रामकुमार कस्वां की व प्रतिवादी की ओर से श्री हेमदास निशाण की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 24.5.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री की जाती है कि :-

- 1- चक 17 के एस पी खाता संख्या 36/34 मे 2.530 है0 व चक 17 के एस पी खाता संख्या 35/35 मे 5.345 है0 दोनो खातो की कुल तादादी 7.875 है0 परिवार की जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण को हकदार घोषित किया जाता है व मुताबिक बंटवारा निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे-

(Signature)  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

1-हिस्सा वादीगण -

चक नं०	प०नं०	मुरबा नं०	किला नम्बर
17 के एस पी	129/315	4	1, 2, 3/0.169, 8/.169, 9 ता 12, 13/.169, 18/.169, 19 ता 22 23/.168
खाता सं० 35/35	130/315	5	1, 2/.126, 9/.127, 10, 11, 12/.126 19/.159, 20
	129/316	17	2, 3/.168 कुल तादादी 5.345 है० बहिस्सा बराबर

2-हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 -

चक नं०	प०नं०	मुरबा नं०	किला नम्बर
17 के एस पी	127/316	19	21
खाता सं० 36/34	126/316	20	13, 14, 16, 17, 18, 24, 25
	126/317	23	4, 5 कुल तादादी 2.530 है०

वे ३ तम म चक्रान्त रेडगा !

यह आज तारीख 24.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रां लगाकर दी गई।

( (aw) )  
पीठासीन अधिकारी  
सुपरीम अदालत एवं  
हनुमानगढ़